टैबलेट से बचेगा समय रहेगी पारदर्शिता : सीएम

कैबिनेट में टैबलेट लेकर पहुंचे सीएम और मंत्री

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. मंत्रालय में कैबिनेट के लिये मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सभी मंत्री भी टैबलेट लेकर पहुंचें. पिछली कैबिनेट में तो उन्हें कैबिनेट की प्रेसी मैनुअल भी दी गई थी, लेकिन इस बार उन्हें टैबलेट में ही एजेंडा मिला.

डॉ यादव ने टैबलेट में ही एजेंडा देखा और निर्णय के बाद सहमति भी जताई. पिछली बार नये वर्ष की पहली कैबिनेट में 6 जनवरी को मंत्रियों को टैबलेट दिये गये थे और उन्हें ई- टैबलेट एप्लीकेशन का प्रजेंटेशन देकर उपयोग का तरीका बताया गया था. अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान डॉ. यादव ने इस पर खुशी जताई और कहा कि इस पहल से पेपरलेस कार्य प्रक्रिया अपनाने, समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. सीएम ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से प्रारंभ हुआ है.यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च तक चलेगा. इसमें शासन की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा.इसमें 16 विभागों की 91 योजनाएं/सेवाएं शामिल हैं. यह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में साथ-साथ चलेगा. प्रथम चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही होगी. अगले चरण में 16 फरवरी से 16 मार्च तक प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन/शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन होगा.

15 को खाते में आएगी 1500 रुपये की राशि

मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति की अग्रिम मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति वह शुभ समय है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है. 15 जनवरी को बाबई नर्मदापुरम से लाडली बहनों के खाते में जनवरी माह की 1500 रुपये की किश्त डाली जाएगी.

स्वच्छ जल अभियान की सघन मॉनिटरिंग करें मंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार सभी को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में स्वच्छ जल अभियान आरंभ किया जा रहा है, जो दो चरणों में संचालित होगा. प्रथम चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी और द्वितीय चरण एक मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित होगा. आम नागरिकों की पेयजल समस्या के लिये हर मंगलवार को जल सुनवाई की भी व्यवस्था रखी गई है. अभियान के तहत समस्त जल शोधन यंत्र और पेयजल संग्रहण टंकियों की सफाई होगी, जिसकी निगरानी जीआईएस मैप आधारित एप से होगी. पेयजल संबंधी शिकायतों को 181 पर दर्ज करने की विशेष व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने जिलों में इस अभियान की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

विद्यालय मार्ग पर अवैध कब्जा, तहसील प्रशासन सख्त

- एक सप्ताह में हटाने का नोटिस जारी

नवभारत न्यूज

चितरंगी 13 जनवरी ।जिले की चितरंगी तहसील अंतर्गत बगदरा क्षेत्र के ग्राम खम्हारडीह का मामला सामने आया है। सरस्वती शिशु मंदिर खम्हारडीह के लिए आरक्षित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों का रास्ता रोके जाने के मामले में तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकर्ता को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर पूरे बगदरा क्षेत्र का एकमात्र सरस्वती विद्यालय है। इसी विद्यालय के मार्ग में रातों-रात झोपड़ी बनाकर नगीना देवी पति रामराज मौर्या निवासी खम्हारडीह द्वारा अवैध कब्जा किया गया, जिससे बच्चों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई। वहीं विद्यालय संगठन द्वारा शासन-प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग के बाद नायब तहसीलदार कोरावल द्वारा हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट मंगाकर तत्काल नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रमणकर्ता से कारण बताओ जवाब भी तलब किया गया है, ताकि बच्चों के सुरक्षित आवागमन का रास्ता जल्द बहाल हो सके।

सरपंच-पटवारी ने भी किया था मना

जानकारी के अनुसार रामराज मौर्या द्वारा पूर्व में भी विद्यालय के पश्चिम दिशा में अवैध भवन निर्माण किया जा चुका है। इस बार विद्यालय के मुख्य रास्ते में उनकी पत्नी नगीना देवी द्वारा झोपड़ी रखी गई। ग्राम पंचायत खम्हारडीह के सरपंच, हल्का पटवारी एवं विद्यालय परिवार ने मौके पर पहुंचकर झोपड़ी हटाने को कहा, जिस पर पहले हटाने की बात कही गई, लेकिन बाद में इंकार कर दिया गया। दो दिन बाद पूछे जाने पर नगीना देवी ने कथित तौर पर कहा कि जब हमारे पड़ोसी ठाकुर साहब बोलेंगे, तभी झोपड़ी हटाऊंगी।

उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो : रामनिवास

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 जनवरी। म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बैढ़न-सिंगरौली में किया गया।

मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, विशिष्ट अतिथि सीडा अध्यक्ष दिलीप शाह, अध्यक्षता कृष्णकांत द्विवेदी, डॉ. एमयू सिद्दकी प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने किया। मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक रामनिवास द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चर्चा करते हुए कम समय में भारत का डंका विश्व पटल पर आध्यात्मिक क्षेत्र में फैलाया तथा युवाओं के प्रेरणा श्रोत, उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो। देश के भविष्य युवा है, सभी को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ना है, नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है, समाज को नशा से मुक्ति दिलानी है। वहीं विशिष्ट अतिथि दिलीप शाह द्वारा स्वामी विवेकानंद जी हमारे समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है। जन अभियान परिषद् द्वारा संचालित कार्यक्रम ग्रामोदय से अभ्युदय म.प्र. अभियान में शासन की योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत तक पहुंचाने एवं लोगो को जागरूक करना है। वहीं अन्य ने भी संबोधित किया।

भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें : गौरव

कलेक्टर ने मकर संक्रांति पर लगने वाले बर्दी मेले एवं बर्दी किला का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 जनवरी । मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले पारंपरिक बर्दी मेले की तैयारियों का आज दिन मंगलवार को कलेक्टर गौरव बैनल एवं एसपी मनीष खत्री ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उपखंड स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा की गई । उन्होंने मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, बिजली, पेयजल एवं यातायात प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मेले के तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखने तथा भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बर्दी मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है और इसे सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा विलेज टूरिज्म, होम स्टे, कैंपिंग जैसे पर्यटन के नए आयामों को महिला स्व सहायता समूह एवं स्थानीय नागरिकों की मदद से विकसित करने के भी निर्देश दिए ।

बर्दी किला को विकसित करने का इरादा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि बर्दी किला परिसर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि इसे सही ढंग से विकसित किया जाए तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जिले की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। उन्होंने कहा कि म.प्र. पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा करके किला परिसर के विकास, संरक्षण, सुंदरता एवं रख रखाव के संबंध में महिला स्वयं सहायता समूह एवं स्थानीय नागरिकों का समायोजन किया जायेगा। इससे बर्दी किला परिसर आगामी समय में पर्यटन स्थल के रूप में व्यवस्थित एवं विकसित हो सकेगा। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी चितरंगी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

विंध्याचल को दो प्लैटिनम पुरस्कार से किया गया सम्मानित

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 13 जनवरी ।एनटीपीसी विंध्याचल ने ग्रीन एनवायरो अवाड्‌र्स में दोहरी उपलब्धि हासिल करते हुए एक बार फिर उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है।

वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए प्रभावशाली एवं सतत सीएसआर कार्यों के लिए परियोजना को महिला सशक्तिकरण श्रेणी में प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र में सुरक्षित एवं जन-केंद्रित संचालन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एनटीपीसी को सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए भी प्लैटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बीते दिन सोमवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक द्वारा प्रदान किए गए। परियोजना की ओर से सुरक्षा पुरस्कार के लिए प्रगीत उपाध्याय अपर महाप्रबंधक तथा सीएसआर के लिए माहताब आलम उप महाप्रबंधक ने यह सम्मान ग्रहण किया।

यह दोहरा सम्मान एनटीपीसी विंध्याचल के कर्मचारियों, विक्रेताओं, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के सामूहिक समर्पण को प्रतिबिंबित करता है।

मध्यप्रदेश में अशासकीय स्कूलों की मान्यता-नवीनीकरण की तिथि बढ़ी

भोपाल. मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित अशासकीय स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी लेकिन तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के मद्देनजर इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी किया गया है. राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के अंतर्गत अगर कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो उस स्कूल को मान्यता विहीन माना जाएगा और विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

11 बच्चे मिले जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित

- नन्हा सा दिल: जन्मजात हृदय रोग निवारण एवं उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत इकोकार्डियोग्राफी स्क्रीनिंग शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 जनवरी । जिला प्रशासन सिंगरौली स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सहयोग से तथा सत्य साई संजीवनी अस्पताल एवं एनसीएल सिंगरौली के सीएसआर समन्वय से नन्हा सा दिल जन्मजात हृदय रोग निवारण एवं उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर, बैढ़न में बच्चों के लिए इकोकार्डियोग्राफी स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में कुल 30 बच्चों की इकोकार्डियोग्राफी जांच की गई, जिनमें से 11 बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की पुष्टि हुई। चिन्हित बच्चों का नि:शुल्क हृदय ऑपरेशन सत्य साई संजीवनी अस्पताल के अस्पतालों में किया जाएगा।

उपचार के दौरान यात्रा व्यय, अस्पताल में भर्ती, शल्य चिकित्सा, आवास एवं भोजन सहित समस्त व्यवस्थाएं पूर्णत: नि:शुल्क रहेंगी एवं लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डॉ. पुष्पराज सिंह ठाकुर सीएमएचओ ने स्क्रीनिंग शिविर का निरिक्षण किया एवं इस अभियान को सराहनीय पहल बताते हुए इसे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों एवं उनके परिजनों के लिए आशा की किरण बताया एवं उपस्थित परिजनों से इस का लाभ लिए जाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. कल्पना रवि, डॉ. मनोज गौतम शिशु रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बैढ़न, भूभारती सिंह डीईआईएम सिंगरौली, डॉ. राजेंद्र शाह आरबीएसके चिकित्सक, डॉ. नीतू वर्मा आरबीएसके चिकित्सक बैढ़न अपने चिन्हित बच्चों के साथ शिविर में मौजूद रहे।

पेज एक का शेष

पांच हजार करोड़ के कर्ज से सुधारेंगे शहरों की सेहत

इसी क्रम में सड़क सुरक्षा एवं शहरी यातायात सुधार, शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति,सीवरेज सहित अन्य परियोजनाओं में गैप कवरेज से संबंधित कार्य, इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन ड्रेन तथा एसटीपी निर्माण संबंधी कार्य एवं राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्य किये जा सकेंगे. योजना को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की होगी. कैबिनेट ने प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय की स्थापना के पस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गये हैं, द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक होगी. पहले चरण में 275 विद्यालय मंजूर किये गये थे. मप्र स्पेसटेक नीति-2026 लागू होगी: कैबिनेट ने मप्र स्पेसटेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति दे दी है. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी. प्रदेश में आगामी 5 वर्ष में 1 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 8 हजार का रोजगार सृजन होगा. इस पर अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रूपये आयेगा.

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत.
- ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 फीसदी छूट मिलेगी.
- प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति.

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, बिना अभिवहन पास डंफर जप्त

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले की सख्ती, थाना माड़ा में खड़ा कराया वाहन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 जनवरी । कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिन मंगलवार को खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी रामसुशील चौरसिया द्वारा जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक डंफर को बिना वैध अभिवहन पास के गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान पाया गया कि डंफर क्रमांक एमपी 17 जी 0897 में लोड गिट्टी के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अभिवहन पास मौजूद नहीं था। खनिज नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन को मौके पर ही जप्त कर लिया गया। जप्त डंफर को सुरक्षार्थ पुलिस थाना माड़ा परिसर में खड़ा कराया गया है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जप्त वाहन के विरुद्ध म.प्र. खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

तीस लाख किसानों को सोलर पंप मिलेंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि इस वर्ष डिण्डोरी जिले में मध्यप्रदेश राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. ग्वालियर में सरसों अनुसंधान और उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जायेगा. डॉ यादव ने कैबिनेट से पहले अपने संबोधन में कहा कि 30 लाख से अधिक किसानों को अगले तीन साल में सोलर पावर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश का सिंचाई रकबा अभी 65 लाख हेक्टेयर है, इसे बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है. कृषक कल्याण वर्ष का कैलेंडर जारी किया गया है. वर्ष भर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कुछ अन्य विभाग मिलकर कार्य करेंगे.

नगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ननि की सर्वोच्च प्राथमिकता : सविता

नगरीय क्षेत्र में जल टंकियों की नियमित सफाई जारी, जल की नियमित जांच करने के सख्त निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 जनवरी । राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र में स्थित जल टंकियों की लगातार एवं नियमित सफाई कराई जा रही है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

इसी क्रम में आज दिन मंगलवार को विभिन्न ओएचटी की विधिवत साफ-सफाई कराई गई। साथ ही ननि के वार्ड क्रमांक 1, 10, 29, 44 एवं 45 सहित विभिन्न स्थानों से पेयजल के सैंपल कलेक्ट कर डब्ल्यूटीपी स्थित प्रयोगशाला में जांच कराई गई। अधिकारी नियमित निरीक्षण के साथ जल गुणवत्ता की सतत निगरानी भी कर रहे हैं। ननि आयुक्त सविता प्रधान ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना ननि की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जल टंकियों की समयबद्ध सफाई, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं नल के माध्यम से घर-घर पहुंचने वाले जल की नियमित जांच सुनिश्चित की जा रही है। आयुक्त ने यह भी बताया कि नगरीय क्षेत्र में आयोजित जल सुनवाई के माध्यम से नागरिकों से संवाद कर पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिंप सीईओ ने की जनसुनवाई

कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक कुसुम कली कुशवाहा पति भगवानदास कुशवाहा निवासी ग्राम झखरावल द्वारा आपने भूमि का सीमांकन कराये जाने के लिए आवेदन दिया गया। कुशकुमार विश्वकर्मा पिता राम दयाल विश्वकर्मा ग्राम जुवाड़ी द्वारा अमराई खोवा में दिलाये गये भूमि का नामांतरण किए जाने के लिए आवेदन दिया गया।

नाम सुधार सूचना

मै अंजली गौतम पत्नी श्री राजीव लोचन गौतम उम्र 28 वर्ष निवासी आदर्श नगर घूरडांग सतना, तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. की होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि मेरे पुत्र आरव गौतम का जन्म बिरला हास्पिटल सतना में दिनांक 20.04.2021 को हुआ था जिसका जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम सतना से जारी हुआ है जिसमें उसका नाम आरव मिश्रा गौतम तथा मेरा नाम अंजली मिश्रा गौतम सरनेम दो बार दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम आरव गौतम तथा मेरा नाम अंजली गौतम है. अत: जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नाम आरव मिश्रा गौतम, अंजली मिश्रा गौतम के स्थान पर आरव गौतम तथा अंजली गौतम दर्ज किया जाए.

Name correction information

I, Anjali Gautam wife of Mr. Rajiv Lochan Gautam age 28 years resident of Adarsh Nagar Ghurdang Satna, Tehsil Raghurajnagar District Satna MP. I am hereby informing that my son Aarav Gautam was born in Birla Hospital Satna on 20.04.2021, whose birth certificate has been issued from Municipal Corporation Satna in which his name Aarav Mishra Gautam and my name Anjali Mishra Gautam surname have been registered twice which is wrong whereas the correct name is Aarav Gautam and my name is Anjali Gautam. Therefore, instead of the names recorded in the birth certificate as Aarav Mishra Gautam, Anjali Mishra Gautam, Aarav Gautam and Anjali Gautam should be recorded.

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.) 486886
ई-मेल:-hegcbaisin@mp.gov.in मो. नं. 8770216382

क्रमांक/343/पुस्तकॉलय/2025/वैढ़न **दिनांक: 13.01.2026**

पुस्तके क्रय हेतु निविदा आमंत्रण 2025-26

महाविद्यालय के ग्रंथालय में सत्र 2025-26 के लिए शासन द्वारा प्रदत्त बजट/जनभागीदारी मद/अन्य मद से पुस्तके क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निम्नांकित शर्तों के साथ निविदा विज्ञापन के 21 दिवस में निविदा सील बंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं।

क्रमांक	पुस्तक के प्रकार	छूट प्रतिशत में
1	पाठ्य पुस्तके (हिन्दी/अंग्रेजी) पाठ्यक्रमानुसार	
2	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
3	अन्य प्रकाशन की पुस्तकें	
4	साहित्यिक पुस्तकें (हिन्दी/अंग्रेजी) कहानी, नाटक, कविता, निंबंध आदि।	
5	शासकीय नियमों की पुस्तकें	
6	शासकीय नियमों की पुस्तकें	
7	संदर्भ पुस्तकें	
8	विदेशी मुद्रण की पुस्तकें	
9	प्रतियोगी परीक्षा हेतु पुस्तकें	
10	विधि की पुस्तकें	

शर्ते :-
1. एफओआर शासकीय कन्या महाविद्यालय वैढ़न तक देय होगा।
2. लिफाफे पर पुस्तकालय हेतु निविदा 2025-26 अवश्य लिखें।
3. निविदा में टिन नंबर, जी.एस.टी., पंजीयन नंबर, पेन नंबर, फोन नंबर एवं बैंकखाता (आई.एफ.एस.सी. कोड सहित) अंकित होना अनिवार्य है।
4. निविदा के साथ नवीनतम सूची पत्र संलग्न होना चाहिए।
5. पुस्तके सत्र 2025-26 से प्रथम वर्ष में लागू नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए।
6. पुस्तकें निश्चित समय अवधि में प्रदान होना चाहिए।
7. प्राचार्य के पास किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. छूट प्रतिशत जीएसटी सहित होगा। अलग से बिल में जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. विदेशी मुद्र का परिवर्तित भारतीय मूल्य वर्तमान दर के अनुसार होगा।
10. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय वैढ़न का निर्णय अंतिम/बंधनकारी होगा।
11. निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय वैढ़न स्वयं विवेक से पेरामीटर/ प्रक्रिया निर्धारित कर सफल संस्था के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
12. सफल निविदाकार द्वारा पुस्तकें निर्धारित समय सीमा में प्रदाय न करने पर एल-2 पर आए निविदाकार की क्रयादेश प्रदाय किया जावेगा। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया म.प्र. भंडार नियम के अनुसार होगी।
13. न्यायालयीन एवं कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायालय क्षेत्र सिंगरौली होगा।

ग्रन्थपाल
शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.)